

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2016/माघ 13, 1937

No. 78]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2016/MAGHA 13, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2016

सं. 7/2016-सीमा शुल्क

**सा.का. नि. 135(अ).**—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 सा.का. नि. 185(अ), तारीख, 17 मार्च, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-  
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 129 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.356/46/2011-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना सं. 12/2012 -सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 6/2016-सीमा शुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2016 सा.का.नि. 124 (अ), तारीख 28 जनवरी, 2016 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2016

**No. 7/2016-Customs**

**G.S.R. 135(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.185 (E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification, in the Table, serial number 129 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 356/46/2011-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

**Note.-** The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended by notification No. 6/2016-Customs, dated the 28th January, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 124(E), dated the 28th January, 2016.